मार्च 2023 ■ वर्ष : 32 ■ अंक : 7 ₹130

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

प्रारंभिकी 2023 विशेष-5

टर्मिनोलॉजी एवं कथन आधारित

शासन प्रणाली एवं संवैधानिक अधिकार

• संविधान • राजनीतिक व्यवस्था • पंचायती राज • सार्वजनिक नीति • अधिकार संबंधी मुद्दे

लोकतांत्रिक रूपरेखा, संघीय व्यवस्था, अधिकार एवं कर्तव्य, विधि निर्माण एवं संसदीय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, शासन प्रणाली के विविध आयाम, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं कल्याण, संवैधानिक/गैर-संवैधानिक निकाय

प्रारंभिक परीक्षा 2023

50 वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न

सामयिक आलेख

- भारतीय डायस्पोरा : देश की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार
- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता : पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायक
- भारत में बढ़ती असमानता : समावेशी विकास में बाधक
- भारत की राजकोषीय चुनौतियां : मौजूदा स्थिति एवं सतत आर्थिक संवृद्धि हेतु अनिवार्यताएं
- मोटे अनाज को बढ़ावा : कुपोषण तथा जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में इसकी भूमिका
- भारत में भू-जल संदूषण : समस्या, कारण एवं प्रभाव
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग : चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में सहभागिता के नए आयामों की तलाश
- भारत में ऑनलाइन गेमिंग : सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा नियामकीय स्थिति
- डीपफेक तथा व्युत्पन्न जोखिम : बहुआयामी विनियामक ढांचे एवं विधायी तंत्र की आवश्यकता

मार्च 2023 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

मार्च 2023
❑ वर्ष 32 ❑ अंक 7

इस अंक में

115 प्रारंभिकी 2023 विशेष-5

टर्मिनोलॉजी एवं कथन आधारित

शासन प्रणाली एवं संवैधानिक अधिकार

163 50 वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न

सामयिक आलेख

06 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता : पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायक
10 भारत में बढ़ती असमानता : समावेशी विकास में बाधक
13 भारतीय डायस्पोरा : देश की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार
16 मोटे अनाज को बढ़ावा : कुपोषण एवं जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण में भूमिका
19 भारत की राजकोषीय चुनौतियां : मौजूदा स्थिति एवं सतत आर्थिक संवृद्धि हेतु अनिवार्यताएं

इन फोकस

22 भारत में भू-जल संदूषण : समस्या, कारण एवं प्रभाव
24 दक्षिण-दक्षिण सहयोग : चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में सहभागिता के नए आयामों की तलाश
26 डीफेक तथा व्युत्पन्न जोखिम : बहुआयामी विनियामक ढांचे एवं विधायी तंत्र की आवश्यकता
27 भारत में ऑनलाइन गेमिंग : सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा नियामकीय स्थिति

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य 29-41

29 निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया का सरलीकरण
30 विमुद्रीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
31 भारत में 'स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस' की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट
31 आरोप-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं : सुप्रीम कोर्ट
32 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ
33 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
34 केन-बेतवा लिंक परियोजना
35 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए नए नियम जारी

104 **केन्द्रीय बजट 2023-24**

109 **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23**

36 अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन
37 अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन
38 शिकायत अपीलीय समितियों (GACs) का गठन
39 लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन
39 सेना में महिला अफसरों की कमांड पोस्टिंग
40 74वां गणतंत्र दिवस समारोह
40 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 व 21 के दायरे का विस्तार
41 विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन

सामाजिक परिदृश्य 42-47

42 वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार
43 शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2022
44 अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021
45 घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण
45 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम
47 प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन
47 ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार

विरासत एवं संस्कृति 48-52

48 तमिल कवि एवं दार्शनिक 'तिरुवल्लुवर'
49 सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती
49 नालंदा में 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूपों की खोज
50 अहोम राजवंश के शाही दफन स्थल : चराइदेव मोइदाम
50 परशुराम कुंड महोत्सव 2023
51 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव

51 स्मारक मित्र योजना
52 भीमा-कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ

आर्थिक परिदृश्य 53-62

53 3 नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी
54 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
55 सूक्ष्म वित्त संस्थान
55 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप
56 नगरपालिका बांड पर सूचना डेटाबेस : सेबी
57 डिजिटल भुगतान
57 एकीकृत लोकपाल योजना : आरबीआई
58 भारत-चीन व्यापार
59 वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट: विश्व बैंक
60 राज्य वित्त : 2022-23 के बजटों का अध्ययन
60 समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था
61 दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'गंगा विलास'
62 प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना
62 सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 63-72

63 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक
64 भारत द्वारा वासेनार व्यवस्था (WA) की अध्यक्षता
65 यूरोजोन तथा शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ क्रोएशिया
65 चीन की वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी
66 भारत-मिस्र संबंध
66 भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता
67 इंडिया-यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम
68 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति की आतंकवादियों को काली सूची
68 ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट-2023
69 भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता
70 संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय महिला शांति सैनिकों की तैनाती
71 भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच
71 तिब्बत में चीन का नया बांध
72 वीर गार्जियन अभ्यास

पर्यावरण एवं जैव विविधता 73-82

73 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
74 ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022
75 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023
76 साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षण
76 मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में सतत जलीय कृषि (SAIME) पहल
77 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में हाथियों की संख्या तथा संबद्ध समस्या
78 स्पॉट बेलीड ईगल आउल
79 कन्फ्यूशियसॉर्निस शिफान
79 नीलकुरिंजी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सूचीबद्ध
80 संयुक्त राष्ट्र द्वारा बांधों पर अध्ययन
81 जोशीमठ भू-धंसाव
81 एटालिन जलविद्युत परियोजना
81 मानव गतिविधि से उत्पन्न शोर का डॉल्फिन पर प्रभाव
82 आईएमडी डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 83-92

83 भारत का पहला 'डार्क स्काई रिजर्व'
84 जाएंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप
84 लोकल बबल का 3D चुंबकीय मानचित्र
85 जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
85 चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र : हैदराबाद
86 आईएनएस वागीर पनडुब्बी
87 पृथ्वी-II मिसाइल
87 हाइब्रिड इम्यूनिटी
88 जेब्राफिश के संभावित चिकित्सीय प्रभाव
88 ट्रांस-वसा के खतरे
89 भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022
90 पारे की अतिचालकता
91 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस
91 डीप-टेक स्टार्ट-अप्स हेतु डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड
92 केन्या में प्रतिसूक्ष्मजीवी-प्रतिरोधी गोनोरिया का प्रकोप

लघु सूचिका 93-98

राज्यनामा.....99-100

खेल परिदृश्य.....101-103

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायक

• संपादकीय डेस्क

G20 समूह के अपने वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान भारत सरकार, देश को एक सुरक्षित एवं पर्यटन-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए G20 प्रतिनिधियों को अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता को प्रदर्शित कर रही है। आतिथ्य और पर्यटन उद्योग, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यद्यपि पर्यटन के समावेशी एवं त्वरित विकास हेतु सरकार को अलग-अलग मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने और प्रचार अभियानों को बढ़ावा देने आवश्यकता है।

G20 समूह की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2023 को 'विजिट इंडिया' (Visit India) वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2023 के अंत तक 'अंतर्गामी पर्यटन' (Inbound Tourism) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन उद्योग के सभी हितधारकों को एकत्रित करना तथा विश्व भर के पर्यटकों को गर्मजोशी से सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षण का अनुभव कराना है।

- G20 समूह की अध्यक्षता के तहत पर्यटन मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ साझेदारी में 10-12 अप्रैल, 2023 के मध्य नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।
- ध्यातव्य है कि G20 की यह अध्यक्षता भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है। भारत, महाराष्ट्र में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से लेकर दिल्ली के कुतुब पुरातात्विक पार्क तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के कई स्थलों पर भ्रमण और रात्रिभोज की मेजबानी करके G20 प्रतिनिधियों को अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक एवं वास्तुशिल्प विरासत का प्रदर्शन कर रहा है।

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता

- विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धर्म, परंपराओं और रीति-रिवाजों का एक व्यापक संगम है। वर्षों से, भारत में वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, त्योहारों और रीति-रिवाजों की कई शैलियां विकसित हुई हैं।
- विभिन्न प्रकार के त्यौहार भारत की विविधता और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की आत्मा को दर्शाते हैं। भारतीय विरासत की विशेषताएं इसकी कला, वास्तुकला, शास्त्रीय नृत्य, संगीत तथा लोगों के धर्मनिरपेक्ष दर्शन (Secular Philosophy) में निहित हैं।
- भारत अनेक धर्मों का देश है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व जैन आदि धर्म पाए जाते हैं। हिंदू धर्म स्वयं कई संप्रदायों (वैष्णव, शैव, शाक्त आदि) में विभाजित है। इसी प्रकार यहां मुस्लिम धर्म भी शिया, सुन्नी, अहमदिया आदि संप्रदायों में विभाजित है।
- भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कई भाषा परिवारों से संबंधित हैं, जिनमें 75% भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली इंडो-आर्यन (Indo-Aryan) भाषा और 20% भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा शामिल है।
- 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत भारत में समृद्ध भौगोलिक विविधता भी देखने को मिलती है; यहां सूखे रेगिस्तान, सदाबहार वर्षा वन, ऊंचे पर्वत, बारहमासी एवं गैर-बारहमासी नदी प्रणाली, लंबे समुद्री तट तथा विशाल मैदानों जैसी भौतिक विविधताएं विद्यमान हैं। ऐसे में भारत की सांस्कृतिक तथा भौगोलिक-पर्यावरणीय विविधता पर्यटन क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने का व्यापक अवसर प्रदान करती है।

भारत के आर्थिक विकास में पर्यटन क्षेत्र की भूमिका

- **जीडीपी में योगदान:** भारत में पर्यटन क्षेत्र आय एवं रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में उभरा है। यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 6.23% और भारत के कुल रोजगार में लगभग 8.78% का योगदान देता है।
  - विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (World Travel and Tourism Council) के अनुसार वर्ष 2019 में भारत, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के संदर्भ में यात्रा एवं पर्यटन के कुल योगदान के मामले में 185 देशों में 10वें स्थान पर था।
- **रोजगार सृजन:** पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र भारत में रोजगार उत्पन्न करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। पर्यटन क्षेत्र प्रतिवर्ष भारत के कुल रोजगार का लगभग 12% रोजगार उत्पन्न करता है।
- टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट (जोकि पर्यटन के आर्थिक मापन हेतु एक मानक सांख्यिकीय ढांचा है) के अनुसार पर्यटन क्षेत्र ने 2019-20 में कुल रोजगार का लगभग 15.34% उत्पन्न किया था।

भारत में बढ़ती असमानता
समावेशी विकास में बाधक

• नवीन चंदन

परचेजिंग पॉवर पैरिटी (PPP) के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत में विभिन्न रूपों में असमानता व्याप्त है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती हुई असमानता, समावेशी विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, जिसके कारण समाज में वर्ग विभेद बढ़ रहा है। वर्तमान में व्याप्त इस असमानता में कमी लाने के लिए सामाजिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही सुभेद्य वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु जनकेंद्रित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना समय की मांग है।

हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक में आक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट' (Survival of the Richest) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है तथा देश की करीब 50% आबादी के पास कुल सम्पति का महज 3% हिस्सा है। देश में अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई है तथा इनमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनकी संपत्ति एक अरब डॉलर (लगभग 8 हजार करोड़ रुपये) से अधिक है।

* ऐसे में यह गंभीर सवाल उठता है कि यह किस प्रकार का विकास है, जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब बन रहा है। विडंबना यह है कि अमीर अपनी आय एवं संपत्ति की तुलना में कम कर का भुगतान करते हैं तथा गरीब नागरिक अधिक कर का भुगतान करते हैं। इस प्रकार की स्थिति समावेशी विकास (Insclusive Growth) की संकल्पना के विरुद्ध है।
* आजादी के बाद से ही भारत में गरीबी उन्मूलन के संकल्प लिए जाते रहे हैं। हालाँकि इन संकल्पों को धरातल पर उतारना टेढ़ी खीर रही है।

भारत में असमानता की वर्तमान स्थिति

* **सामाजिक असमानता:** भारत में वर्ष 2000 के पश्चात कुल संपत्ति में शीर्ष 10% आबादी का हिस्सा वैश्विक औसत से ऊपर हो गया है। वहीं फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने कुल संपत्ति में शीर्ष 10% आबादी के हिस्से को कम करने में सफलता अर्जित की है।
  - 'द कम्पटीटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @ 100' रिपोर्ट के अनुसार भारत को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच के मामले में 0.96 अंक प्रदान किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान असमानता को दर्शाता है।
  - विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में लैंगिक असमानता अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है; यहां महिला श्रम बल के आय का प्रतिशत 18% है, जो एशिया के 21% से कम है।
  - जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 64.63% है, जो पुरुषों के 80.9% से कम है। यह आंकड़ा भी महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच की असमानता को दर्शाता है।
  - भारत के स्वास्थ्य देखभाल का बजट, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में निम्न मध्यम आय वाले देशों से भी कम है, जो गरीब तबके तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बाधित करता है।
* **आर्थिक असमानता:** भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2000 से 2022 के बीच लगभग 5 गुना बढ़ा है, लेकिन लोगों तक धन का वितरण असमान रूप से हुआ।
  - विश्व बैंक द्वारा जारी गिनी गुणांक के अनुसार भारत में आय की असमानता वर्ष 2011 में 35.7% थी, जो 2018 में 47.9% हो गई।
  - ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर तक पहुंच गई है।
  - ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में जीएसटी (GST) के जरिए सरकार ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपये जुटाए, लेकिन इसमें देश के 10% अमीर लोगों का योगदान महज 3% रहा, जबकि 64% योगदान उनका था जो देश के सबसे कमजोर 50% तबके से संबंधित हैं।
  - केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों में 65% का कारण व्यापक भूख थी।
  - ऑक्सफैम के अनुसार विश्व में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या भारत में है, जो लगभग 228.9 मिलियन है। वहीं भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई है।
* **राजनीतिक असमानता:** भारतीय संविधान में किए गए समानता के प्रावधान के बावजूद वैधानिक समितियों और राजनीतिक प्राधिकरणों में असमानता विद्यमान है।
  - चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संसद के कुल सदस्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 10.5% है तथा राज्य विधानमण्डलों में इनकी उपस्थिति कुल सदस्य संख्या का 9% है। यह आंकड़े देश में राजनीतिक असमानता को प्रस्तुत करते हैं।
  - भारत में शहरी एवं ग्रामीण मतदाताओं के मत प्रतिशत के मध्य भी असमानता देखने को मिलती है; जैसे 2019 लोक सभा चुनाव में कर्नाटक के मांड्या (Mandya) जैसे ग्रामीण बहुल क्षेत्र में 80% से अधिक मतदान हुआ, वहीं वैश्विक आई.टी. हब बेंगलुरू में महज 27% मतदान हुआ।

भारतीय डायस्पोरा

देश की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार

• डॉ. अमरजीत भार्गव

प्रवासी भारतीय, प्रेषण तथा अन्य वित्तीय प्रवाह के माध्यम से भारत में पूंजीगत निवेश के एक बड़े अंतर को पूरा करते हैं। किंतु, सभी प्रवासी भारतीयों को निवेशक के दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना प्रवासी भारतीयों के योगदानों का संकुचित दृष्टि से मूल्यांकन करने के समान है। हम अन्य आयामों को देखने पर यह पाते हैं कि इस समुदाय द्वारा सूचना, कौशल, संसाधनों तथा विदेशी बाजारों तक पहुंच स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। अतः हमें भारतीय डायस्पोरा (प्रवासी भारतीयों) के योगदान की शृंखला को व्यापक बनाना होगा। साथ ही, इस समुदाय के अनुभवों से प्राप्त होने वाले लाभों को विस्तृत करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियों में इन्हें संबोधित करने वाले मुद्दों को समाहित करना होगा। इस दिशा में, प्रवासी भारतीयों की सुसंगत पहचान करना, उनके योगदानों को स्वीकृति एवं मान्यता देना तथा भविष्य में देश के विकास में उनकी भूमिका को निर्धारित करना महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

8-10 जनवरी, 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (17th Pravasi Bharatiya Divas Convention) आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष की भांति भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (Pravasi Bhartiya Samman Award) प्रदान किये गए; इस वर्ष 27 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किये गए। यह पुरस्कार विदेशों में भारतीय पहचान को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले किसी 'अनिवासी भारतीय' (Non Resident Indian-NRI) अथवा 'भारतीय मूल के व्यक्ति' (Person of Indian Origin-PIO) अथवा उनके द्वारा स्थापित एवं संचालित किसी संगठन/संस्था को दिया जाता है।

- औपनिवेशिक शासन के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मजदूरों के बलपूर्वक प्रवासन (Forceful Migration) के कारण विदेशी प्रवासन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता था। किंतु, स्वतंत्रता के पश्चात विश्व समुदाय के साथ भारत के बेहतर संबंधों के निर्माण के बाद भारतीय समुदाय का विदेश प्रवास बेहतर जीवन स्तर एवं संसाधनों की खोज से प्रेरित रहा है।
- भारत में 1990 के दशक में उदारीकरण की नीतियों को अपनाए जाने के बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा विशेषकर पूर्वी एवं पश्चिम एशियाई देशों में शिक्षा, रोजगार एवं व्यवसाय की तलाश में भारतीय नागरिकों के प्रवास में लगातार वृद्धि हुई है।
- वर्तमान समय में, विभिन्न देशों में स्थित भारतीय डायस्पोरा न केवल उन गंतव्य देशों की नीतियों के निर्माण पर अपना प्रभाव डाल रहा है, बल्कि इन देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। भारत के इस विशाल डायस्पोरा में लगातार हो रही वृद्धि तथा वैश्विक आयामों में होने वाले सतत परिवर्तनों ने प्रवासी भारतीयों के मुद्दों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, अतः इनका विशद विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय डायस्पोरा

- **अर्थः** डायस्पोरा (Diaspora) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डायस्पेरो (Diaspeiro) से मानी जाती है, जिसका अर्थ 'फैलाव' (Dispersion) है।
  - भारतीय डायस्पोरा शब्द सामूहिक रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI), भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) तथा विदेश में स्थित भारतीय नागरिकों (OCI) को संदर्भित करता है।
  - ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में सरकार ने 'भारतीय मूल के व्यक्तियों' (PIO) की श्रेणी को समाप्त करके इसका विलय 'प्रवासी भारतीय नागरिक' (OCI) की श्रेणी के साथ कर दिया है।

भारतीय डायस्पोरा : संख्या, भौगोलिक वितरण एवं प्रेषण की स्थिति

- **संख्याः** विश्व प्रवासन रिपोर्ट (World Migration Report) के अनुसार विश्व में उत्प्रवासियों की सर्वाधिक आबादी (Highest Emigrant Population) भारत की है, इसके पश्चात मेक्सिको, रूस और चीन जैसे देशों का स्थान है।
  - इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (DESA) द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार प्रवासी भारतीयों की कुल संख्या लगभग 17,869,000 है।
- **भौगोलिक वितरणः** DESA के अनुसार वर्ष 2020 में 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात (3,471,000), संयुक्त राज्य अमेरिका (2,724,000), सऊदी अरब (2,502,000) आदि के नाम शामिल हैं।
- **प्रेषणः** विश्व बैंक की नवीनतम 'प्रवासन एवं विकास संक्षिप्तिकी-2022' (Migration and Development Brief-2022) नामक रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार है कि कोई देश (भारत) 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक बाह्य प्रेषण प्राप्त करने की राह पर है।
  - रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में क्रमशः भारत (89.4 बिलियन डॉलर), मेक्सिको (60 बिलियन डॉलर), चीन (51 बिलियन डॉलर), फिलीपींस (38 बिलियन डॉलर) और मिस्र (32 बिलियन डॉलर) के नाम दर्ज किए गए हैं।
  - भारत वर्ष 2008 के बाद से प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है।

मोटे अनाज को बढ़ावा

कुपोषण एवं जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण में भूमिका

• संपादकीय डेस्क

मोटे अनाजों को जल की कमी वाले अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है तथा इन फसलों की परिपक्वता अवधि भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। विशेषज्ञ इन्हें 21वीं सदी की एक आदर्श फसल मानते हैं, जो जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की समस्या का एक संभावित समाधान हो सकता है। इनमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है, अतः इसे अधिक से अधिक अपनाए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा भारतीय दूतावासों द्वारा मोटे अनाजों (Millets) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ की गईं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को 'मोटे अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष' (International Year of Millets) के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मोटे अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाए जाने की घोषणा 5 मार्च, 2021 को की गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव भारत की अगुवाई में प्रस्तुत किया गया था।
- केन्द्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने मोटे अनाजों को 'श्री अन्न' (Shree Anna) की संज्ञा दी है, इसके अलावा मोटे अनाजों को कदन्न (Millets) भी कहा जाता है। मोटे अनाजों के अंतर्गत ज्वार (Jowar), बाजरा (Pearl Millet), रागी या मडुवा (Finger Millet), सावां (Barnyard Millet), कोदों (Paspalum scrobiculatum) या कुटकी (Little Millet), कंगनी (Foxtail Millet), चीना (Proso Millet) आदि फसलों को रखा जाता है। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा मोटा अनाज पैदा होता है।
- मोटे अनाजों के महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018 को मोटे अनाजों के वर्ष (Year of Millets) के रूप में मनाया था। वर्तमान में केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को श्री अन्न या मोटे अनाजों का वैश्विक केन्द्र बनाना है। भारत द्वारा दुनिया के कई देशों में इन फसलों का निर्यात साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जो कृषकों की आय बढ़ाने के साथ ही अर्थव्यवस्था को गतिशील बना रहा है।
- विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2022 (State of Food Security and Nutrition in the World 2022 Report) के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004-06 में 247.8 मिलियन से घटकर 2019-21 में 224.3 मिलियन हो गई है। निश्चित रूप से कुपोषित लोगों की संख्या में आई कमी केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों का ही परिणाम है। हालांकि अभी भी भारत की एक बड़ी आबादी कुपोषित है तथा इस कुपोषण की समस्या के निवारण में मोटे अनाज सहायक हो सकते हैं।

मोटे अनाजों का महत्व

- **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में वृद्धिः** मोटे अनाज में फाइबर, विटामिन-बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इस कारण मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहते हैं। यूएन-इंडिया (भारत में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम) के अनुसार, भारत में लगभग 195 मिलियन कुपोषित लोग हैं, जो दुनिया के भुखमरी से प्रभावित लोगों का एक चौथाई है।
- **सुपर-फूड्स के रूप में मोटे अनाजः** सुपरफूड, एक ऐसी खाद्य सामग्री है, जिसमें स्वास्थ्य के लिये लाभदायक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोटे अनाजों को 'पोषक तत्वों का पॉवर हाउस' कहा जाता है तथा इन्हें 'न्यूट्री-सीरियल्स' की श्रेणी में रखा जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुट्टू (Buck-wheat) आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं।
- **निर्यात के अवसरः** मोटे अनाजों का वैश्विक निर्यात 2019 में 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 402.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्ष 2020-21 में भारत ने 26.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मोटे अनाजों का निर्यात किया। विश्व के प्रमुख बाजरा आयातक देश इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी व मैक्सिको हैं। मोटे अनाजों की 16 प्रमुख किस्में हैं, जिनका उत्पादन और निर्यात किया जाता है।
- **स्वास्थ्य सुरक्षाः** मोटे अनाज मोटापे, दिल की बीमारियां, टाइप-2 डायबिटीज और कैंसर जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं तथा इसमें फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये अनाज पोषण की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे बच्चों एवं महिलाओं के लिए पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इनमें फाइबर और पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा देते हैं, जो आंतों के स्वस्थ तरीके से कार्य करने में सहायक हो।
- **पारिस्थितिक एवं जलवायवीय लाभः** धान के मुकाबले मोटे अनाज की खेती में पानी की खपत कम होती है तथा यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों की जरूरत न के बराबर होती है। साथ ही इनकी कृषि से फसल विविधता को बढ़ावा मिलता है तथा फसल पैटर्न को स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप भी किया जा सकता है।

भारत की राजकोषीय चुनौतियां

मौजूदा स्थिति एवं सतत आर्थिक संवृद्धि हेतु अनिवार्यताएं

• संपादकीय डेस्क

किसी देश अथवा क्षेत्र में जारी समस्त आर्थिक गतिविधियां अग्र एवं पश्चगामी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कमोबेश, यही स्थिति राजकोषीय संतुलन के संदर्भ में देखी जा सकती है। राजकोषीय संतुलन से एक तरफ जहां सरकार को सामाजिक कल्याण एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अवसर प्राप्त होते हैं; तो वहीं दूसरी तरफ, व्यापक राजकोषीय घाटा अनेक चक्रीय प्रभावों को उत्पन्न करके अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सरकारों एवं उत्तरदायी संस्थाओं द्वारा सदैव दीर्घकालिक उपायों को अपनाने का प्रयास किया जाता है। अपनी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह राजकोषीय समेकन के लक्ष्य को प्राप्त करे। अनावश्यक सरकारी व्यय पर रोक, सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाने तथा निजी निवेश के प्रोत्साहन द्वारा इस दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

30 दिसंबर, 2022 को लेखा महानियंत्रक (Controller General of Accounts-CGA) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र का राजकोषीय घाटा इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 8 महीनों में ही बजट लक्ष्य तक पहुंच गया। यह पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि, कर राजस्व में मध्यम विस्तार तथा राज्यों को उच्च हस्तांतरण के कारण हुआ है। उच्च आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन एक लंबे समय से सरकार के समक्ष चुनौती के रूप में विद्यमान है।

सरकार ने इस समस्या को दूर करने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं; इनमें वित्त आयोगों की सिफारिशों को लागू करना, FRBM अधिनियम के प्रावधानों पर कार्य करना तथा सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाने जैसे कदमों को इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, कोविड-19 महामारी तथा रूस-यूक्रेन युद्ध एवं वैश्विक मंदी की परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की दिशा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। अतः राजकोषीय प्रबंधन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों तथा सतत आर्थिक संवृद्धि हेतु आवश्यक अनिवार्यताओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

राजकोषीय घाटे का अर्थ, गणना तथा प्रकार

- **अर्थः** राजकोषीय घाटे को सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - आवर्ती उच्च राजकोषीय घाटे (Recurring High Fiscal Deficit) का अर्थ यह होता है कि सरकार अपने साधनों से अधिक खर्च कर रही है।
- **गणनाः** राजकोषीय घाटे की स्थिति तब होती है, जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है। इस अंतर की गणना निरपेक्ष रूप से और देश के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) के प्रतिशत के रूप में भी की जाती है। इसे अग्रलिखित सूत्र द्वारा समझा जा सकता है:
  - राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूँजी और राजस्व व्यय) - सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)
- **राजकोषीय असंतुलन के प्रकारः** राजकोषीय असंतुलन को दो रूपों में परिभाषित किया जाता है:
  - **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance):** जब केन्द्र सरकार की आय उसके व्यय से अधिक हो जबकि राज्यों की आय उनके व्यय से कम हो तो इसे ऊर्ध्वाधर असंतुलन कहते हैं।
  - **क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन (Horizontal Fiscal Imbalance):** भौगोलिक विस्तार, आर्थिक समृद्धि तथा अन्य कारणों से भारत के सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति अलग-अलग है। मजबूत राजकोषीय क्षमता वाले राज्य (गुजरात, तमिलनाडु एवं केरल आदि) कमजोर क्षमता वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड आदि) की तुलना में बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। यह स्थिति क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को प्रदर्शित करती है।

राजकोषीय असंतुलन की उत्पत्ति के कारण तथा उपाय

- **कारण (उच्च सरकारी सहायता):** कभी-कभी सरकारें किसानों, गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता (Direct and Indirect Aid) के रूप में धन खर्च करती है। ऐसी स्थिति में, सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है और राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है।
  - एक विशिष्ट परिस्थिति में, उच्च राजकोषीय घाटे को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा भी माना जाता है, जब खर्च किया गया धन राजमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी उत्पादक संपत्तियों (Productive Assets) के निर्माण में लगाया जाता है। इससे आने वाले समय में रोजगार सृजन के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

in फोकस

- भारत में भू-जल संदूषणः समस्या, कारण एवं प्रभाव
- दक्षिण-दक्षिण सहयोगः चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में सहभागिता के नए आयामों की तलाश
- डीपफेक तथा व्युत्पन्न जोखिमः बहुआयामी विनियामक ढांचे एवं विधायी तंत्र की आवश्यकता
- भारत में ऑनलाइन गेमिंगः सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा नियामकीय स्थिति

भारत में भू-जल संदूषण

समस्या, कारण एवं प्रभाव

हाल ही में केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Ground Water Board - CGWB) द्वारा भू-जल वार्षिकी 2021-2022 (Groundwater Yearbook 2021-2022) रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में भारत में भू-जल संदूषण (Ground Water Contamination in India) की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

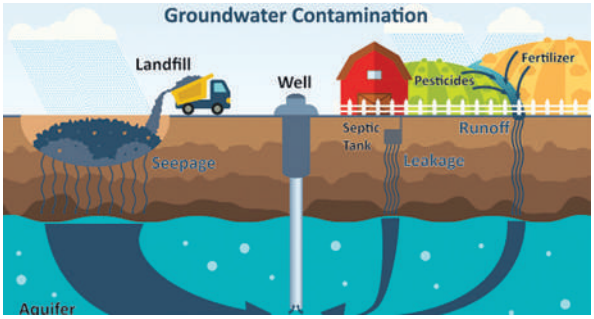

- रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 12 भारतीय राज्यों के भू-जल में यूरेनियम का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा यूरेनियम का सुरक्षित स्तर 30 पीपीबी (PPB- Parts Per Billion) निर्धारित किया गया है।
- पंजाब में यूरेनियम सांद्रता की मात्रा देश में सर्वाधिक पाई गई है तथा यह 532 पीपीबी के उच्च स्तर तक है। 30 पीपीबी से अधिक यूरेनियम सांद्रता वाले कुओं की संख्या भी पंजाब में अधिक है। भू-जल में यूरेनियम संदूषण का द्वितीय सर्वाधिक स्तर (518 पीपीबी) हरियाणा में पाया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लिए गए भू-जल के नमूनों में यूरेनियम की सांद्रता का स्तर 239 पीपीबी पाया गया।
- यूरेनियम के अलावा, देश के विभिन्न राज्यों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों द्वारा भू-जल संदूषण की परिघटना दर्ज की गई है। प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों कारणों से भू-जल संदूषण होता है तथा इसका विपरीत प्रभाव मानव, जीव-जंतुओं सहित पर्यावरण पर पड़ता है।

भारत में भू-जल संदूषण की समस्या

- **आर्सेनिकः** भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और उत्तर प्रदेश राज्य आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इन राज्यों के विभिन्न भागों के भू-जल में आर्सेनिक की सांद्रता अनुमेय सीमा [भारतीय मानक-0.01 मिलीग्राम/ली (mg/l)] से अधिक पाई गई है।
- **फ्लोराइडः** देश के आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में फ्लोराइड संदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है। यहां के भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय सीमा [भारतीय मानक-1 मिलीग्राम/ली (mg/l)] से अधिक पाई जाती है।
- **नाइट्रेटः** आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि में नाइट्रेट संदूषण की समस्या व्यापक है। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी नाइट्रेट संदूषण की समस्या है। इन क्षेत्रों के भू-जल में यह अपने अनुमेय स्तर [45 मिलीग्राम/ली (mg/l)] से अधिक है।
- **लोहाः** असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों के भू-जल में लौह संदूषण की समस्या अधिक व्यापक है। बिहार, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ स्थानों पर भी लौह संदूषण की समस्या पाई जाती है। लोहे के लिए भारत में अनुमेय सीमा 0.3 मिलीग्राम/लीटर (mg/l) है।
- **लवणताः** यह समस्या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व गुजरात में अधिक है तथा कुछ हद तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु के विभिन्न स्थलों के भू-जल में भी लवणता की समस्या पाई जाती है। जल में लवणता की अनुमेय सीमा भारत में 200 मिलीग्राम/लीटर (mg/l) है।
- **अन्य संदूषकः** इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों में जिंक, सीसा, कैडमियम, क्लोराइड आदि संदूषक भी पाए जाते हैं। जिंक की अनुमेय सीमा 5 मिलीग्राम/लीटर है, परन्तु विभिन्न राज्यों में इसकी अधिकतम सीमा 15 मिलीग्राम/लीटर तक पाई जाती है। इसी प्रकार सीसा की अनुमेय सीमा 0.01 मिलीग्राम/लीटर, कैडमियम की अनुमेय सीमा 0.003 मिलीग्राम/लीटर तथा क्लोराइड की अनुमेय सीमा 250 मिलीग्राम/लीटर है।

डीपफेक तथा व्युत्पन्न जोखिम

बहुआयामी विनियामक ढांचे एवं विधायी तंत्र की आवश्यकता

7 जनवरी, 2023 को ताइवान की संसद ने डीपफेक पोर्नोग्राफी (Deepfake Pornography) को नियंत्रित करने से संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) द्वारा भी डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रतिबंधित करने और गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिये नए नियमों का निर्माण किया जा रहा है।

- परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में डीपफेक (Deepfake) को एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग तक आसान पहुंच, सार्वजनिक अनुसंधान, एल्गोरिदम एवं प्रचुर मात्रा में डेटा तथा विशाल मीडिया की उपलब्धता के कारण विभिन्न प्रकार की कृत्रिम मीडिया सामग्री उत्पन्न की जा रही है।
- वास्तविक चित्रों एवं खबरों में छेड़छाड़ और हेरफेर करके निर्मित की जाने वाली इस प्रकार की मीडिया सामग्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ व्यक्तिगत निजता को सुरक्षित करने की दिशा में उठाए गए कदमों को बौना साबित कर दिया है।
- पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रहने वाली डीपफेक गतिविधियों के न केवल नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि भारत जैसे देश में इनसे लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। अत: इस उभरते प्रौद्योगिकीय खतरे के मद्देनजर, विस्तृत एवं स्पष्ट कानूनी उपायों का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, जागरूकता तथा तकनीकी शिक्षा के प्रयासों को बढ़ावा दिये जाने की भी आवश्यकता है, ताकि नागरिक व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार की नवीन चुनौतियों से बचने में सक्षम हो सकें।

डीपफेक क्या है?

- **परिचय:** डीपफेक एक प्रकार का एआई-मैनिप्युलेटेड डिजिटल मीडिया (AI-Manipulated Digital Media) है; इसके अंतर्गत व्यक्तियों और संस्थानों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वीडियो, ऑडियो और छवियों को हेरफेर के साथ संपादित किया जाता है।
- **संबंधित लाभ:** शिक्षा, फिल्म निर्माण, आपराधिक गतिविधियों की पहचान (फॉरेंसिक), कलात्मक अभिव्यक्ति तथा पहुंच स्थापित करने जैसे अनेक क्षेत्रों में एआई-जेनरेटेड सिंथेटिक मीडिया या डीपफेक के कुछ स्पष्ट लाभ भी हैं।

प्रभाव

- **लोकतांत्रिक विश्वास में कमी करने में सहायक:** किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, झूठे सबूत गढ़ने (Fabricate Evidence), जनता को धोखा देने तथा नवीन प्रौद्योगिकियों (क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई एल्गोरिदम तथा प्रचुर मात्रा में डेटा) के आधार पर लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने में इसका उपयोग किया जा सकता है।
- **पोर्नोग्राफी और महिला उत्पीड़न:** विशेषज्ञों ने पाया है कि 96% डीपफेक मीडिया, पोर्नोग्राफिक के रूप में उपलब्ध है, जिन्हें केवल पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर ही 135 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। डीपफेक पोर्नोग्राफी के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित किया जाता है। इसमें अश्लील एवं नकली मीडिया के आधार पर महिलाओं को धमकी देना, उन्हें भय दिखाना तथा मनोवैज्ञानिक हानि पहुंचाने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- **व्यक्तिगत निजता एवं प्रतिष्ठा को खतरा:** नकली वीडियो एवं तस्वीरों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति अथवा संस्थान की पहचान एवं प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के लिये किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में यदि पीड़ित व्यक्ति अथवा संस्थान इन नकली वीडियो एवं तस्वीरों को हटाने में सफल भी हो जाता है, तब भी इनके कारण हुए आरंभिक नुकसानों की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा:** साइबर युद्ध तथा अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए विशेषज्ञों ने यह चिंता जाहिर की है कि आतंकवादी तथा चरमपंथी समूहों द्वारा डीपफेक का प्रयोग राष्ट्र-विरोधी भावनाओं के प्रसार हेतु किया जा सकता है। इससे देश में हिंसा एवं सांप्रदायिक घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।
- **अन्य प्रभाव:** दुष्प्रचार तथा संबंधित अफवाहों (Hoaxes) का प्रसार तेजी से होता है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग युद्ध की एक रणनीति के रूप में भी किया जा रहा है। यह सामाजिक कलह को बढ़ावा देने, ध्रुवीकरण करने तथा कुछ मामलों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में भी सक्षम है।

डीपफेक का सामना करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयास

- **चीन:** एक नई नीति का निर्माण किया गया है, जिसमें सेवा-प्रदाताओं तथा उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया है। उनके द्वारा ऐसा तकनीकी-पारिस्थितिक-तंत्र (Technological-Ecosystem) स्थापित किया जाए, जिससे तकनीकी आधार पर विकृत (Technologically Doctored) सामग्री के उत्पत्ति स्रोत का पता लगाया जा सके।
- **यूरोपीय संघ:** यूरोपीय संघ ने वर्तमान में उपयोग किए जा रहे मानकों (Code of Practice) की एक अद्यतन नियम सूची (Rule Book) जारी की है; जिसमें गूगल, मेटा तथा ट्विटर सहित अन्य तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीपफेक का मुकाबला करने के उपायों को अपनाना अनिवार्य बनाया गया है।
  - गैर-अनुपालन (Non-Compliance) की स्थिति में इन कंपनियों को अपने वार्षिक वैश्विक कारोबार (Annual global turnover) के 6% तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की सहायता हेतु एक डीपफेक टास्क फोर्स ऐक्ट (Deepfake Task Force Act) का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय मुद्दे
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया का सरलीकरण

न्यायपालिका
- विमुद्रीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- भारत में 'स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस' की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट
- आरोप-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं : सुप्रीम कोर्ट

कार्यक्रम एवं पहल
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- केन-बेतवा लिंक परियोजना

नियम-विनियम
- सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए नए नियम जारी

सम्मेलन एवं बैठक
- अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन
- अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन

समिति एवं आयोग
- शिकायत अपीलीय समितियों (GACs) का गठन
- लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

विविध
- सेना में महिला अफसरों की कमांड पोस्टिंग

संक्षिप्तिकी
- 74वां गणतंत्र दिवस समारोह
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 व 21 के दायरे का विस्तार
- विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन

न्यूज ब्रीफ्स

राष्ट्रीय मुद्दे

निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया का सरलीकरण

24 जनवरी, 2023 को न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'लिविंग विल' (Living Will) से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों में बदलाव करके देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की।

- 'लिविंग विल' से संबंधित ये दिशा-निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद' (2018) में जारी किये गए थे; जिसके तहत देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को अनुमति प्रदान की गई थी।

मुख्य बिंदु

- **वर्तमान मामला:** संविधान पीठ, इंडियन काउंसिल फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें लिविंग विल के दिशा-निर्देशों में संशोधन की मांग की गई थी, याचिका में कहा गया है कि निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्देश 'अव्यवहार्य' हैं।
- **दिशा-निर्देशों में संशोधन पर सहमति:** इस मामले में संविधान पीठ ने सहमति व्यक्त की कि लिविंग विल के दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की आवश्यकता है, जो कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में 2018 के फैसले द्वारा जारी किया गया था।

लिविंग विल तथा निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु क्या है?

- **इच्छा-मृत्यु की वसीयत (Living Will):** यह एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा स्वस्थ रहने के दौरान पहले से ही यह घोषित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में जीवित रहना चाहेगा अथवा नहीं, जब वह गंभीर रूप से बीमार हो तथा जीवन समर्थन (Life Support) उपकरणों के बिना शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाना सुनिश्चित हो। लिविंग विल तब ही प्रभावी होती है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्वयं अभिव्यक्त कर सकने में अक्षम हो।
- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):** इससे आशय, लम्बी बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति के जीवन समर्थन उपकरणों को जानबूझकर हटा लेने से है, ताकि उस व्यक्ति को कष्टदायक जीवन से मुक्ति मिल जाए। वहीं, सक्रिय इच्छामृत्यु (Active euthanasia) ऐसी इच्छा मृत्यु है, जिसके तहत असाध्य रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को जहर देकर या पेनकिलर की अतिरिक्त डोज देकर कष्टदायक जीवन से मुक्ति दी जाती है; सक्रिय इच्छामृत्यु भारत में प्रतिबंधित है।

कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद (2018)

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 9 मार्च, 2018 को दिए गए इस निर्णय में इच्छामृत्यु की वसीयत (Living Will) व निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही अदालत ने सक्रिय इच्छामृत्यु को अवैध ठहराया था।

- शीर्ष न्यायालय के अनुसार मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर बीमार व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। इसके लिए परिवार की इजाजत के साथ-साथ विशेषज्ञ चिकित्सक बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मरीज का ठीक हो पाना अब असंभव है।

सामाजिक परिदृश्य

अति संवेदनशील वर्ग
- वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार

सूचकांक एवं रिपोर्ट
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2022
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021

सामाजिक न्याय एवं कल्याण
- घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण

स्वास्थ्य एवं शिक्षा
- भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम

संक्षिप्तिकी
- प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन
- ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार

न्यूज बुलेट्स

अति संवेदनशील वर्ग

वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार

2 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि वन (संरक्षण) नियम-2022 से संबंधित चिंताओं को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद आयोग की स्थिति यथावत रहेगी।

- ध्यातव्य है कि वन (संरक्षण) नियम-2022 को लेकर सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बीच विवाद चल रहा है।
- आयोग का कहना है कि नए नियम, वन अधिकार अधिनियम-2006 का उल्लंघन करते हैं।

ग्राम सभाओं की सहमति को लेकर विवाद

- **NCST की चिंता:** आयोग के अनुसार वन (संरक्षण) नियम-2022 [FCR-2022] के नए प्रावधानों में चरण-1 की मंजूरी से पूर्व अनिवार्य रूप से ग्राम सभाओं की सहमति संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है, अब इस प्रक्रिया को चरण-2 की मंजूरी के बाद पूरा किया जाएगा। आयोग का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन होगा।
- **सरकार का तर्क:** सरकार के अनुसार FCR-2022 में पहले से ही 'वन भूमि के परिवर्तन' (Diversion Of Forest Land) का प्रावधान है। नए नियमों में कहा गया है कि केवल वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों के निपटान सहित सभी प्रावधानों को पूरा करने एवं अनुपालन के पश्चात ही 'वन भूमि का परिवर्तन' किया जाएगा। सरकार के अनुसार ये नियम ग्राम सभाओं की सहमति को अनिवार्य करने वाले अन्य कानूनों के संचालन पर भी रोक नहीं लगाते हैं।
  - पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों (2022) को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत बनाया गया था तथा इन नियमों द्वारा वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के उल्लंघन की आशंका 'कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं' है।

वन संरक्षण नियम, 2022

- **वन भूमि अधिग्रहण में आसानी:** इन नियमों में निजी डेवलपर्स (Private developers) को वनवासियों की पूर्व-अनुमति के बिना वनों को साफ करने की अनुमति प्रदान की गई है।
  - इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वनों के प्रामाणिक निवासियों (Authentic Residents) को सूचित किए बिना किसी भी वन क्षेत्र की सफाई की अनुमति दे सकती है।
- **क्षतिपूरक वनीकरण:** नियमों के अनुसार अपने भौगोलिक क्षेत्र के दो-तिहाई से अधिक हरित आवरण वाले पर्वतीय या पहाड़ी राज्य तथा एक तिहाई से अधिक वन क्षेत्र वाले पर्वतीय या पहाड़ी राज्य अन्य राज्यों में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory afforestation) करने में सक्षम होंगे जहां हरित आवरण 20% से कम है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

यह देश में वनों की कटाई को विनियमित करने वाला एक प्रमुख कानून है।

- अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के 'गैर-वानिकी' (Non-Forestry) उपयोग के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व
- तमिल कवि एवं दार्शनिक 'तिरुवल्लुवर'
- सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती

पुरातात्विक साक्ष्य
- नालंदा में 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूपों की खोज

विरासत स्थल
- अहोम राजवंश के शाही दफन स्थल : चराइदेव मोइदाम

पर्व एवं उत्सव
- परशुराम कुंड महोत्सव 2023
- 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव

सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन
- स्मारक मित्र योजना

संक्षिप्तिकी
- भीमा-कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ

व्यक्तित्व

तमिल कवि एवं दार्शनिक 'तिरुवल्लुवर'

16 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर तमिल कवि और दार्शनिक 'तिरुवल्लुवर' (Thiruvalluvar) को श्रद्धांजलि अर्पित की।

- प्रधानमंत्री ने उनके महान विचारों को याद करते हुए युवाओं से तमिल संगम साहित्य कुराल (Kural) पढ़ने का भी आग्रह किया।

तिरुवल्लुवर कौन थे?

तिरुवल्लुवर तमिल संस्कृति में एक सम्मानित व्यक्ति थे। तिरुवल्लुवर को तमिलों द्वारा एक प्राचीन संत, कवि और दार्शनिक के रूप में सम्मानित किया जाता है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो।

- संगम काल के तमिल कवि मामुलानार (Mamulanar) ने उल्लेख किया है कि तिरुवल्लुवर सबसे महान तमिल विद्वान थे।
- प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक-संत तिरुवल्लुवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहे होंगे।
- यह अनुमान उनके लेखन के भाषाई विश्लेषण (linguistic analysis) पर आधारित है, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि उनका संबंध इतिहास के किस काल से था और वे कहाँ रहते थे।
- ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म या तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक गाँव थिरुनैनार कुरुची (Thirunainar Kuruchi) में हुआ था या तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित थिरु मायलाई (मैलापुर) [Thiru Mylai (Mylapore)] में।

प्राचीन संगम साहित्य : तिरुक्कुरल

तिरुवल्लुवर अपनी साहित्यिक कृति 'तिरुक्कुरल' (Tirukkural) के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो राजनीति, प्रेम, नैतिकता और अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर दोहों का संग्रह है।

- तमिल साहित्य में तिरुक्कुरल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है।
- तिरुक्कुरल एक उत्कृष्ट तमिल संगम साहित्य (Tamil Sangam Literature) है, जिसमें 1330 दोहे (तमिल में 'कुराल') शामिल हैं।
- इस पुस्तक को 'पाँचवें वेद' या 'तमिल भूमि की बाइबिल' की संज्ञा भी दी जाती है।

संगम युग एवं संगम साहित्य

संगम युग (Sangam Age) दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है। संगम तमिल कवियों का एक संघ अथवा सम्मेलन था, जो सम्भवत: राजा के आश्रय में समय-समय पर आयोजित होता था।

- अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये संगम कितने समय के अन्तराल में आयोजित होते थे तथा इनकी कुल संख्या कितनी थी, किन्तु संगम में सम्मिलित होने वाले कवियों की अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ उपलब्ध हैं।
- इस प्रकार तमिल कवियों के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है और वह युग, जिसके विषय में इस साहित्य द्वारा जानकारी उपलब्ध होती है, संगम युग कहलाता है।
- प्राचीन दक्षिण भारत में आयोजित तीन संगम थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से मुच्चंगम (Muchchangam) कहा जाता था। इन संगमों का विकास मदुरई के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण के तहत हुआ।
- **प्रथम संगम:** तत्कालीन मदुरै में आयोजित पहले संगम में महान संतों ने भाग लिया था, लेकिन इस संगम का कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है।
- **द्वितीय संगम:** यह कपाडापुरम् (Kapadapuram) में आयोजित किया गया था, इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम् (Tolkappiyam) ही उपलब्ध है।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

कृषि एवं सहकारिता

- नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी

संस्थान एवं निकाय

- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
- सूक्ष्म वित्त संस्थान

वित्त क्षेत्र

- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप
- नगरपालिका बांड पर सूचना डेटाबेस : सेबी

मुद्रा एवं बैंकिंग

- डिजिटल भुगतान
- एकीकृत लोकपाल योजना : आरबीआई

विदेश व्यापार

- भारत-चीन व्यापार

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट: विश्व बैंक
- राज्य वित्त : 2022-23 के बजटों का अध्ययन

विविध

- समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था

संक्षिप्तिकी

- दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'गंगा विलास'
- प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना
- सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट

कृषि एवं सहकारिता

3 नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी

11 जनवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के निर्माण को अपनी मंजूरी दी।

- **विवरण:** इन तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत की जाएगी। ये तीन समितियां निम्नलिखित हैं-
  1. राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति (National Multi-State Cooperative Export Society),
  2. राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति (National Multi-State Cooperative Organic Society),
  3. राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति (National Multi-State Cooperative Seed Society)।

प्रस्तावित समितियां : उद्देश्य एवं कार्य

✓ **राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति**

- **उद्देश्य:** निर्यात करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करते हुए सहकारी क्षेत्र से निर्यात पर जोर देना।
- **कार्य:** प्रस्तावित समिति से वैश्विक बाजारों में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को गति देने का प्रयास करेगी।
- **लाभ:** प्रस्तावित समिति के माध्यम से होने वाले उच्च निर्यात के कारण सहकारी समितियां, विभिन्न स्तरों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करेंगी, जिससे सहकारी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे।

✓ **राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति**

- **उद्देश्य:** घरेलू के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत क्षमता को जानने में मदद करना।
- **कार्य:** यह सहकारी समिति प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पाद (Certified and Authentic Organic Products) उपलब्ध कराकर जैविक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेगी।
- **लाभ:** यह सोसायटी सहकारी समितियों और अंतत: उनके किसान सदस्यों को सस्ती कीमत पर जांच व प्रमाणन की सुविधा देकर व्यापक स्तर पर एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पादों के उच्च मूल्य का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी।

✓ **राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति**

- **उद्देश्य:** बीज प्रतिस्थापन दर (SRR), किस्म प्रतिस्थापन दर (VRR) को बढ़ावा देना, उपज अंतराल को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना; स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट प्रणाली विकसित करना।
- **कार्य:** यह समिति संबंधित मंत्रालयों व एजेंसियों के जरिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण एवं विपणन; अनुसंधान एवं विकास; तथा स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु एक प्रणाली विकसित करने का प्रयास करेगी।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

संगठन एवं फोरम
- विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक
- भारत द्वारा वासेनार व्यवस्था (WA) की अध्यक्षता

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
- यूरोजोन तथा शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ क्रोएशिया
- चीन की वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी

द्विपक्षीय संबंध
- भारत-मिस्र संबंध
- भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता
- इंडिया-यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम

वैश्विक पहल
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति की आतंकवादियों की काली सूची

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट-2023

संधि एवं समझौते
- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता

अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा
- संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय महिला शांति सैनिकों की तैनाती

संक्षिप्तिकी
- भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच
- तिब्बत में चीन का नया बांध
- वीर गार्जियन अभ्यास

न्यूज बुलेट्स

संगठन एवं फोरम

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक

16-20 जनवरी, 2023 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई।

वार्षिक बैठक के बारे में

- **संस्करण:** यह WEF की वार्षिक बैठक का 53वां संस्करण था।
- **प्रतिभागी:** बैठक में 130 देशों के 2,700 नेताओं ने भाग लिया जिसमें 52 देशों की सरकार के प्रमुख भी शामिल थे।
- **थीम:** 'खंडित विश्व में सहयोग' (Cooperation in a Fragmented World)।

आरंभ की गई नवीन पहलें

- **गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन (Giving to Amplify Earth Action-GAEA):** WEF द्वारा 45 से अधिक भागीदार देशों के समर्थन के साथ शुरू की गई यह एक वैश्विक पहल है।
- इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की समस्या से निपटने हेतु प्रतिवर्ष आवश्यक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **जलवायु पर वाणिज्य मंत्रियों का गठबंधन (Coalition of Trade Ministers on Climate):** यह जलवायु, व्यापार एवं सतत् विकास पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये 50 से अधिक देशों को एक साथ लाता है।
- **वैश्विक सहयोग गांव (Global Collaboration Village):** यह प्रथम उद्देश्य-पूर्ण तथा वैश्विक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसे WEF द्वारा एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट (Accenture and Microsoft) के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन वर्चुअल स्पेस (New Virtual Space) तैयार करना है।

दवाओं के स्थानीयकृत उत्पादन के समर्थन का आह्वान

- दावोस बैठक में महामारी की तैयारी और नवाचारों के लिए गठबंधन (Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations-CEPI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'रिचर्ड हैचेट' ने टीकों की निष्पक्ष आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देशों और वैक्सीन निर्माताओं से परीक्षण उपकरणों, टीके और चिकित्सीय दवाओं के स्थानीयकृत उत्पादन (Localized Production) का समर्थन करने का आह्वान किया।
  - **CEPI की स्थापना:** वर्ष 2017 में।
  - **मुख्यालय:** ओस्लो, नॉर्वे में।
  - **संस्थापक:** नॉर्वे एवं भारत सरकार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा।
  - **उद्देश्य:** महामारी के खिलाफ टीकों और अन्य जैविक प्रत्युपायों के विकास में तेजी लाना।

दावोस 2023 में भारत

- **भारत की भागीदारी:** इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच के साथ भारत के सहयोग के 36 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रतिवर्ष इसके शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, व्यापारिक नेता आदि शामिल होते हैं।

केन्द्रीय बजट 2023–24

1 फरवरी, 2023 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट 2023–24 पेश किया। इस वर्ष के बजट के अनुसार, **प्रति व्यक्ति आय** करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर **1.97 लाख रुपये** हो गई है। **भारतीय अर्थव्यवस्था** का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से **5वीं सबसे बड़ी** अर्थव्यस्था बन गया है।

संशोधित अनुमान 2022–23

- ✧ उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों (total receipts other than borrowings) का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं।
- ✧ कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से पूंजीगत व्यय (capital expenditure) लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं।
- ✧ राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है जो बजट अनुमान के अनुरूप है।

बजट अनुमान 2023–24

- ✧ बजट 2023–24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
- ✧ निवल कर प्राप्तियां (Net Tax Receipts) 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- ✧ 2023–24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों (Dated Securities) से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- ✧ सकल बाजार उधारियां (Gross Market Borrowings) 15.4 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है।
- ✧ राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के बराबर राजकोषी घाटे (Fiscal Deficit) की अनुमति होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।

घाटे की प्रवृत्ति (GDP)			
प्रमुख घाटे	2022–23 (बजट अनुमान)	2022–23 (संशोधित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)
राजकोषीय घाटा	6.4%	6.4%	5.9%
राजस्व घाटा	3.8%	4.1%	2.9%
प्रभावी राजस्व घाटा	2.8%	3.0%	2.3%
प्राथमिक घाटा	2.6%	2.9%	1.7%

सप्तऋषि

- ➢ इस वर्ष के बजट में सरकार द्वारा सात प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है जिसे 'सप्तऋषि' (Saptarishi) नाम दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं–
  1) समावेशी विकास
  2) अंतिम छोर–अंतिम व्यक्ति तक पहुंच
  3) बुनियादी ढांचा और निवेश
  4) निहित क्षमताओं का विस्तार
  5) हरित विकास
  6) युवा शक्ति
  7) वित्तीय क्षेत्र

विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित बजटीय पहलें

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

- ✧ स्वच्छता सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत **11.7 करोड़ घरों में शौचालय** बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।
  - ✦ सरकार द्वारा 220 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वर्ष 2014 के पश्चात 157 चिकित्सा महाविद्यालयों स्थापित किए गए है। सरकार द्वारा इन महाविद्यालयों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- ✧ सरकार ICMR प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23

31 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा संसद में **'आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23'** (Economic Survey 2022-23) प्रस्तुत किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी तथा रूस-युक्रेन युद्ध के विपरीत प्रभाव से उबर चुकी है तथा अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

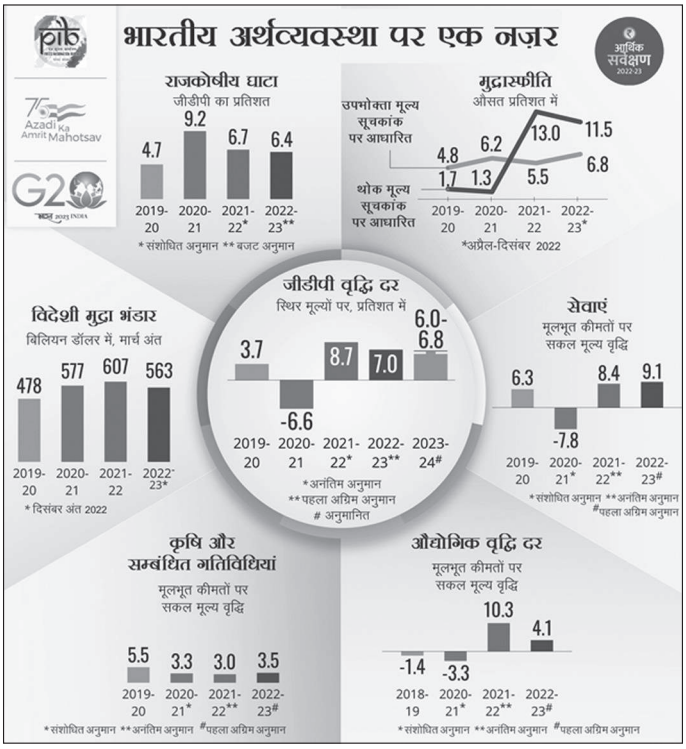

देश में निजी उपभोग (Private Consumption) में वृद्धि कारण उत्पादन संबंधी गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिला है। 2023-24 के दौरान भारत के जीडीपी में वृद्धि दर 6 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

- ✧ हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) बढ़ा है। निजी संस्थानों की बैलेंस शीट (Balance Sheets) मजबूत हुई है तथा महामारी के पश्चात, निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ा है।
- ✧ जनवरी-नवम्बर 2022 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (MSME) के लिए प्रदान की गई ऋणों में वृद्धि औसतन 30.6 प्रतिशत से भी अधिक रही। नवम्बर 2022 में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) घटकर आरबीआई के लक्षित दायरे (Target Range) में आ गई है जिसे लगभग 6 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।
- ✧ कोविड-19 पश्चात देश के शहरी बेरोजगारी दर (Urban Unemployment Rate) में कमी दर्ज की गई है। देश में बेहतर रोजगार सृजन की प्रवृति देखी जा रही है। अप्रैल-नवम्बर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी वृद्धि दर्ज की गई।

2014-22 के दौरान विकास परिदृश्य

2014-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक ढांचागत एवं प्रशासनिक सुधार (Structural And Governance Reforms) लागू किए गए। इसके परिणामस्वरूप 2014-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों को मजबूती मिली हैं।

- ✧ 2014 के बाद लागू किए गए सुधार से कार्यक्रमों द्वारा इज ऑफ लिविंग तथा कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। ये मुख्य रूप से सार्वजनिक अवसंरचना विकास, विश्वास आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र को विकास में सहभागी बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर आधारित थे।
- ✧ 2014-2022 की अवधि के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैलेंस शीट में असंतुलन दर्ज की गई। विगत वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋणों को अधिक बांटा गया। विभिन्न वैश्विक समस्याओं का उद्योग क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव से पड़ा। जिसके कारण ट्विन ऋण अदायगी में देरी हुई।
- ✧ इससे ऋण वृद्धि (Credit Growth), पूंजी सृजन (Capital Formation) जैसे वृहद आर्थिक अवयव (Macroeconomic) के प्रमुख घटक बुरी तरह प्रभावित हुए। इसके सम्मिलित प्रभाव इस अवधि के दौरान आर्थिक विकास की गति धीमी हुई।
- ✧ यह स्थिति दरअसल वर्ष 1998-2002 की अवधि से काफी मिलती-जुलती है क्योंकि उस दौरान सरकार द्वारा लागू किए गए परिवर्तनकारी सुधारों (Transformative Reforms) से विकास की गति धीमी हो गई थी। परन्तु यह अस्थाई प्रभाव था एवं ढांचागत सुधारों का व्यापक लाभ वर्ष 2003 से मिलने लगा था।
- ✧ इसी तरह वर्ष 2022 में महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कम हो गया है। विभिन्न संकेतकों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दशक में तेज गति से आगे बढ़ेगी।
- ✧ अच्छे अर्थव्यवस्था के संकेतकों को देखते हुए, बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों द्वारा ऋण लेने एवं निवेश करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हाल के कुछ महीनों में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण में वृद्धि दर्ज की गई है।
- ✧ भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण की बढ़ती प्रवृति, वित्तीय समावेश पर बल और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक सुधारों को लागू करने से आर्थिक अवसर सृजित हुए हैं।

प्रारंभिकी 2023
विशेष-5

टर्मिनोलॉजी एवं कथन आधारित
शासन प्रणाली एवं संवैधानिक अधिकार

लोकतांत्रिक रूपरेखा, संघीय व्यवस्था, अधिकार एवं कर्तव्य, विधि निर्माण एवं संसदीय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, शासन प्रणाली के विविध आयाम, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं कल्याण, संवैधानिक/ गैर-संवैधानिक निकायों का अधिदेश

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जिन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें शासन एवं राजव्यवस्था एकमात्र ऐसा विषय है, जिसमें अधिकांश छात्र अधिक से अधिक प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार सामान्य अध्ययन का यह खंड उन्हें सफलता सुनिश्चित करने में काफी मददगार रहा है। हालांकि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण में हमने यह पाया है कि अब इस खंड के तहत कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, जिनका उत्तर परंपरागत पुस्तकों में सीधे-सीधे उपलब्ध नहीं होता; यानी इस खंड के तहत प्रश्न अब पुस्तकों से परे जाकर पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी समसामयिक घटनाक्रमों में चर्चा में रहे मुद्दों एवं विषयों का अंतर-विषयी एवं बहु-विषयी दृष्टिकोण से अध्ययन करे। हमारे द्वारा पत्रिका के इस अंक में प्रस्तुत की गई सामग्री में इन्हीं विषयों एवं मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। हमारा उद्देश्य छात्रों के लिए ऐसी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करना है जो छात्रों द्वारा पढ़ी जा रही मानक पुस्तकों की पूरक हो; ताकि विद्यार्थी, परीक्षा में इस खंड के तहत अधिक से अधिक प्रश्न हल करके प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें।

लोकतांत्रिक रूपरेखा

संसदीय लोकतंत्र.....118
संसदीय संप्रभुता.....118
उदार लोकतंत्र.....118
संवैधानिक सरकार 118
सामाजिक लोकतंत्र 119

संघीय व्यवस्था

राज्यों का संघ 119
सहकारी संघवाद 119
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद.....120
संघीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका.....120
राज्यपाल बनाम राज्य सरकार.....120
शक्तियों का पृथक्करण.....121
राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा 121
अंतर-राज्य परिषद.....121
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद 122
सातवीं अनुसूची में सुधार.....122

अधिकार एवं कर्तव्य

राइट टू प्रोटेस्ट.....123
स्वास्थ्य का अधिकार.....123
गर्भपात का अधिकार.....123
अजन्मे बच्चे (Unborn Child) का अधिकार 123
विवाह का अधिकार.....124
उपासना का अधिकार 124
भुलाए जाने का अधिकार.....124
निद्रा का अधिकार (Right to Sleep) 125
अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार 125
यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel) 125
नि:शुल्क विधिक सहायता.....125
कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners).....126
पशुओं के अधिकार (Animal Rights) 126
फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच 126
राजद्रोह कानून (Sedition Law) 127
डिजिटल अधिकार.....127
निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार.....127
अपराध पीड़ितों के अधिकार 128
मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन.....128

विधि निर्माण एवं संसदीय प्रणाली

अध्यादेश जारी करने की शक्ति.....129
संसदीय विशेषाधिकार 129
संसदीय कार्यवाही.....130
संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व....130
लोकसभा के उपाध्यक्ष.....130
संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना.....130
विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना.....131
राज्य सभा की शक्तियां.....131
संसद का संयुक्त अधिवेशन.....132
संयुक्त संसदीय समिति.....132
स्थायी समिति.....132
संसदीय उत्पादकता में गिरावट.....133
लाभ का पद 133
अप्रचलित कानून.....133

न्यायिक प्रणाली

विधि का शासन.....134
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत.....134
कानून की उचित प्रक्रिया.....134
रिट याचिकाएं (Writ Petitions).....135
जनहित याचिका.....135
अग्रिम जमानत.....136
निवारक निरोध 136
न्यायालय की अवमानना 137
आपराधिक न्याय प्रणाली.....137
न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत.....137
न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम 138

कॉलेजियम प्रणाली.....139
न्यायिक उत्तरदायित्व.....139
न्यायिक अवसंरचना 139
किशोर न्याय प्रणाली.....140
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रमुख अंतर....140

शासन प्रणाली के विविध आयाम

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 141
डिजिटल शासन (Digital Governance) 141
नागरिक चार्टर.....141
राजभाषा (Official Language).....142
न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना 142
राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति.....143

निर्वाचन प्रणाली

आदर्श आचार संहिता.....144
चुनाव चिन्ह 144
चुनावी बांड.....145
चुनावी याचिका.....145
फ्रीबीज 146
रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM).....146
गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां.....146
दल-बदल विरोधी कानून.....146
विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार.....147

सामाजिक न्याय एवं कल्याण

मानव तस्करी.....147
बाल शोषण 148
बच्चों को गोद लेना (Child Adoption).....148
दया मृत्यु (मर्सी किलिंग).....149
मृत्यु दंड 149
मानसिक रोग 149
संगठित अपराध.....150
आत्महत्या का गैर-आपराधीकरण.....150
ऑनर किलिंग 150
पुलिस क्रूरता 151
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा.....151
निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण 151
जाति आधारित जनगणना 152
पदोन्नति में आरक्षण 152
क्रीमी लेयर.....153
सरोगेसी.....153
वैवाहिक बलात्कार 153
क्लिनिकल ट्रायल.....154
पेसा कानून 154
स्वायत्त जिला परिषद.....155
समान नागरिक संहिता 155
धर्मांतरण विरोधी कानून 156
अवैध अप्रवासी 156
वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers).....156

संवैधानिक/गैर संवैधानिक निकायों का अधिदेश

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA).....157
प्रवर्तन निदेशालय (ED) 157
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI).....158
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग.....158
विधि आयोग.....159
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग.....159
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग.....159
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.....160
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग.....160
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र.....160
भारतीय निर्वाचन आयोग.....161
वित्त आयोग.....161
भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG).....162
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग.....162

लोकतांत्रिक रूपरेखा

संसदीय लोकतंत्र

संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) शासन का एक लोकतांत्रिक रूप है तथा इसमें सरकार का नेता प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। इस प्रणाली में कोई एक दल अथवा कुछ दलों का गठबंधन संसद या विधायिका में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की सहायता से सरकार बनाती है।

- एक संसदीय लोकतंत्र में, सरकार को सदैव संसद का विश्वास बनाए रखना अति आवश्यक होता है।

➢ संसदीय लोकतंत्र वह प्रणाली होती है, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए **विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती** है।

➢ सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में विभाजित किया जा सकता है।

- संसदीय शासन को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, **वेस्टमिंस्टर मॉडल** के रूप में भी जाना जाता है।

➢ भारत में संसदीय प्रणाली **भारत सरकार अधिनियम 1935** से ली गई है।

➢ संविधान केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है।

- **अनुच्छेद 74 एवं 75** संघ स्तर पर और **अनुच्छेद 163 एवं 164** राज्यों के स्तर पर संसदीय प्रणाली का प्रावधान करती है।

➢ **संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं-**

- द्विसदनीय विधानमंडल;
- सामूहिक जिम्मेदारी;
- नाममात्र और वास्तविक प्रमुख;
- कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है;
- बहुमत पार्टी शासन;
- शक्ति के केंद्र के रूप में प्रधान मंत्री और
- स्वतंत्र सिविल सेवा।

संसदीय संप्रभुता

संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) का तात्पर्य कार्यकारी और न्यायिक निकायों सहित अन्य सभी सरकारी संस्थानों पर संसद की सर्वोच्चता से है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है।

➢ संप्रभु विधायिका किसी भी कानून को बदल सकती है या निरस्त कर सकती है और संविधान जैसे किसी लिखित कानून से बाध्य नहीं होती है।

➢ भारत में संसदीय संप्रभुता के स्थान पर **संवैधानिक संप्रभुता** पाई जाती है।

➢ **संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा संवैधानिक संप्रभुता को देखा जा सकता है:**

- लिखित संविधान;
- स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा;
- संघीय संरचना;
- सीमित संशोधन शक्ति;
- राष्ट्रपति के वीटो द्वारा सीमा और
- शक्तियों का विभाजन।

➢ भारत में संसद द्वारा निर्मित विधियों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप न्यायालय के पास कानून को अमान्य या विधि-शून्य घोषित करने का अधिकार है।

➢ भारत में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन के माध्यम से संविधान में संतुलित शक्तियां हैं।

- संविधान विधायी, कार्यकारी और न्यायिक निकाय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करने में सफल होता है।

उदार लोकतंत्र

उदार लोकतंत्र (Liberal Democracy) को सरकार की एक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें लोग अपनी सरकार से सहमत होते हैं और बदले में सरकार व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने के लिए संवैधानिक रूप से विवश होती हैं। जैसे: **यूरोपीय संघ, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड** उदार लोकतंत्र के उदहारण माने जाते हैं।

- उदार लोकतंत्र की अवधारणा में राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल होता है।
- **संपत्ति का अधिकार** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद-31** शामिल था; किन्तु **44वें संविधान संशोधन, 1978** के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार **(300-A)** में परिवर्तित कर दिया गया।

➢ भारत में **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** की व्यवस्था है, जहां **18 वर्ष से ऊपर** के प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है।

- चुनावों को पारदर्शी रूप से आयोजित करने हेतु एक मजबूत चुनाव आयोग विद्यमान है। अत: भारत में **राजनीतिक अधिकार** विद्यमान है।

➢ संविधान अल्पसंख्यकों के **नागरिक अधिकारों** को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों को स्थापित करता है।

- जैसे: **अनुच्छेद 17** जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और **अनुच्छेद 25 से 28** जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

संवैधानिक सरकार

संवैधानिक सरकार (Constitutional Government) का तात्पर्य एक ऐसी सरकार से है, जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार गठित, नियंत्रित व सीमित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर विधि के अनुरूप ही संचालित होती हो।

- संवैधानिक सरकार उन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जाती है, जो सभी राजनीतिक पार्टियों पर बाध्यकारी होते हैं।